



भारत निर्वाचन आयोग

अभिस्वीकृति संख्या.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

प्ररूप 6क

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 88 देखिए]

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,सभा सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।		पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान			
मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम को निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें मेरा निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि नीचे (ज) में वणित है, की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए :					
(क) नाम *					
(ख) अंतिम नाम*					
(ग) नातेदार का नाम*	पिता <input type="checkbox"/>	माता <input type="checkbox"/>	पति <input type="checkbox"/>	पत्नी <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>
(घ) नातेदार का अंतिम नाम*					
(ङ) जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
(च) जन्म का स्थान	ग्राम/शहर				
	जिला				
	राज्य				
(छ) लिंग(उचित बाक्स में x का चिह्न लगाएं)	पुरुष <input type="checkbox"/>	स्त्री <input type="checkbox"/>	तृतीय लिंग <input type="checkbox"/>		
(ज) ई-मेल#					
(झ)मोबाइल #	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
(ञ)मूल पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में पता	गृह सं.				
गली/क्षेत्र/स्थान					
शहर/ग्राम					
जिला				पिन कोड	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

घोषणा- मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार-

क. इस आवेदन में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है ।

ख. मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ ।

ग. मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ।

घ. किन्तु ऊपर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे ऊपर [1(ज)] में उद्धृत किया गया है ।

ड. मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ ।

च. मेरे निवास के देश में मेरे वर्तमान निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जाएगी और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता हूँ ।

छ. यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा ।

ज. मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ।

झ. इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है या मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)..... निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है)..... जारी करने की तारीख..... ।

ञ. मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है/ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है ।

टिप्पण : कोई व्यक्ति, जो कोई ऐसा कथन या घोषणा करता, जो मिथ्य है और जिसके प्रति वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्य है या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

स्थान.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

..... दिन/मास/वर्ष को प्राप्त आवेदन

श्री/श्रीमती/कुमारी के प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदन को (क) स्वीकार कर लिया गया है और उनके नाम को (निर्वाचन क्षेत्र) के क्रम सं. के भाग सं. की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

(ख) अस्वीकार करने के कारण :-

तारीख :

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर



अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं. -----

तारीख -----

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ से स्वयं का नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है] ।

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर